परिशिष्ट [26/7/2019] "अ"

प्रश्न सं. [क्र. 4120] तारांकित प्र.क्र. 4120

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 584] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2011—पौष 6, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

अधिसूचना क्र. 64-एफ-1-19-2009-अट्ठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 में नगर परिषद् के लिए संक्रमणशील क्षेत्र तथा नगरपालिका के लिये लघुत्तर नगरीय क्षेत्र एवं मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 में नगर निगमों के लिए वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के गठन का प्रावधान है.

2. राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार नगर परिषद्/नगरपालिका/नगर निगम के गठन का मापदण्ड जनसंख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:—

नगर परिषद्	—	20,000 से अधिक 50,000 से कम जनसंख्या
नगरपालिका	—	50,000 से अधिक 3,00,000 से कम जनसंख्या
नगर पालिक निगम	—	3,00,000 से अधिक जनसंख्या

इसके अतिरिक्त संक्रमणशील क्षेत्र के गठन हेतु निम्न मापदण्डों की पूर्ति भी आवश्यक है:—

1. जनसंख्या 20 हजार से कम न हो. इसमें से जनसंख्या का 60 प्रतिशत सघन जनसंख्या हो.
2. प्रकरणाधीन निकाय में कृषि इतर गतिविधियां संचालित हो तथा इन गतिविधियों में 50 प्रतिशत जनसंख्या कार्यरत हों.
3. परिवर्तित होने वाली निकाय का स्वयं का राजस्व कम से कम रुपये 10 लाख प्रतिवर्ष हो.
4. प्रकरणाधीन निकाय में स्थित कुल भवनों में से 30 प्रतिशत भवन संपत्तिकर की परिधि में आते हों अर्थात् इनका वार्षिक भाड़ा मूल्य 4800.00 रुपये से कम न हो.
5. प्रकरणाधीन निकाय के पूरे क्षेत्र में जल प्रदाय किया जा रहा हो.
6. प्रकरणाधीन निकाय में लगने वाले बाजार, पशु बाजार, आस-पास की अन्य ग्राम पंचायतों की तुलना में अधिक राजस्व देने वाले हों.
7. ग्राम पंचायत का स्वयं का भवन होना चाहिए जिसमें कम से कम 10 कर्मचारी बैठ सकें और 15 पार्षद बैठक कर सकें.
8. प्रकरणाधीन निकाय में कुल सड़कों की लम्बाई की 30 प्रतिशत सड़कें/नालियां पक्की होना चाहिये.
9. विद्युत व्यवस्था के अंतर्गत निकाय के अधिकतर क्षेत्र में विद्युत खम्भे स्थापित हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. एस. परिहार, प्रमुख सचिव

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

परिशिष्ट–''ब''

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4120

विगत दो वर्षो में नवीन गठित नगर परिषद की जानकारी

अनु.क्र.	नवीन नगरीय निकाय के गठन की अधिसूचना की तिथि	नाम	जिला	श्रेणी	जनसंख्या
1	20.02.2018	मधुसूदनगढ़	गुना	नगर परिषद	20137
2	22.03.2018	मालथौन	सागर	नगर परिषद	20930
3	22.03.2018	बांदरी	सागर	नगर परिषद	20120
4	07.04.2018	पिपरई	अशोकनगर	नगर परिषद	21219
5	16.04.2018	बिस्टान	खरगौन	नगर परिषद	20049
6	02.05.2018	रन्नौद	शिवपुरी	नगर परिषद	12180
7	31.07.2018	पोहरी	शिवपुरी	नगर परिषद	19466
8	31.07.2018	ठीकरी	बड़वानी	नगर परिषद	21599
9	20.09,2018	डभौरा	रीवा	नगर परिषद	20122
10	26.09.2018	मगरौनी	शिवपुरी	नगर परिषद	15065
11	29.09.2018	केवलारी	सिवनी	नगर परिषद	21196
12	29.09.2018	गुन्नौर	पन्ना	नगर परिषद	22122
13	29.09.2018	बाग	धार	नगर परिषद	20020
14	29.09.2018	रौन	भिण्ड	नगर परिषद	22379
15	04.10.2018	गंधवानी	धार	नगर परिषद	22517
16	04.10.2018	मालनपुर	भिण्ड	नगर परिषद	14591
17	04.10.2018	बिलहरा	सागर	नगर परिषद	20682
18	04.10.2018	सिराली	हरदा	नगर परिषद	12827
19	04.10.2018	घोड़ाडोंगरी	बैतूल	नगर परिषद	9745
20	04.10.2018	शाहपुर	बैतूल	नगर परिषद	9550
21	04.10.2018	सुरखी	सागर	नगर परिषद	17651
22	04.10.2018	निवाली बुजुर्ग	बड़वानी	नगर परिषद	20702

टीपः– वर्ष 2017 में नवीन नगर परिषद का गठन नही किया गया।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल